न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 58/13 निर्णय दिनांक :– 30.9.19

उनवान

1. रामफूल पुत्र कालू
2. रूपनारायण पुत्र रामलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लसाडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादीगण

1. राजेश पुत्र जगदीश
2. नवरतन पुत्र जगदीश

समस्त जाति गुर्जर निवासी मोती डूंगरी प्लाट नं0 48 गणेश नगर गुर्जर बस्ती रोड मोती डूंगरी जयपुर।

3. ओम प्रकाश पुत्र गोपाल गुर्जर
4. ललित कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. केदार पुत्र लक्ष्मीनारायण

समस्त निवासी कुन्दीगर भैरूजी का शस्ता जौहरी बाजार।

6. देवकरण पुत्र भैरू
7. रूपा पुत्र भैरू
8. रामफूल पुत्र रामला
9. केसरा पुत्र हुक्मा (मृतक दोराने दावा)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

9/1 भगीरथ पुत्र केसरा

9/2 प्रभुनारायण पुत्र केसरा

9/3 नानगराम पुत्र केसरा

9/4 रामेश्वर पुत्र केसरा

9/5 गोपीराम पुत्र केसरा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लसाडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा रिकार्ड दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, व 188 राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादीगण की पैतृक भूमि हाल ख0 नं0 126/716 रकबा 0.02 ख0 नं0 127 रकबा 0.19 ख0 नं0 127/717 रकबा 0.03 कुल किता 3 कुल रकबा 0.24 जो वाके ग्राम लसाडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है वादग्रस्त आराजी वरवक्त वदोवस्त सम्वत 2008 ख0 नं० 91 रकबा 19 बिस्वा किस्म चाही दोयम वादी नं0 1 के पिता कालू पुत्र रोडू एवं वादी नं0 2 के पिता रामलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर की खातेदारी में दर्ज रैवन्यू रिकार्ड रही है। प्रतिवादी सं० 6 से 9 के पिता प्रपिता महोदव पुत्र बख्शा एवं केसरा

पुत्र हुक्मा् गुर्जर सा0 देह मुर्तहिन दर्ज रैवन्यू रिकार्ड रहे है। साथ ही एकीकरण वक्त के समय तक जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग जरिये वली गोपाल का इस खसरा नम्बर की आराजीयात से किसी प्रकार के हक हकुक किसी कदर नहीं रहे। रैवन्यू रिकार्ड एकीकरण में इकजाही खातेदारी निराधार बदोवस्त ख0 नं० 91 एकीकरण ख0 नं0 44/2 को शामिल कर दिया गया। अन्य खातेदारी एकीकरण जमाबन्दी खतौनी खाता नं0 3 के ख0 नं0० 39, 42, 43, 44/1, 46, 64, के साथ बेजा तरीके से 44/2 शुमार कर देने की वजह से प्रथमबार गलत अशुद्ध अंकन कायम कर दिया गया। खाता सं0 3 के खातेदारान में जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग जरिये वली गोपाल हूँ वादीगण के साथ सहखातेदार रहा है। वली गोपाल नाबालिग जगदीश का फूफा लगता था इसलिए वही इन्द्राज बदस्तूर दर्ज रैवन्यू रिकार्ड चलता रहा। परन्तु ख0 नं० 91 वक्त बदोवस्त में जगदीश का कोई लेना देना नहीं था। साबिक ख0 नं0 39, 43, 44/1, 46, 64, 44/2 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा के खातेदारान काला पुत्र रोडू, जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग वली गोपाल व रूपनारायण पुत्र रामलाल हिस्सा बराबर कोम गुर्जर सा0 देह हाल आबाद जयपुर उपरोक्त राहिन भैरू श्रीकिशन पुत्र महादेव, रामफूल पुत्र रामलाल केसरा पुत्र हुक्मा कोम गुर्जर सा0 देह को मुर्तहीन दर्ज शुदा को ख0 नं0 44/2 हाल ख0 नं0 126/716, 127, 127/717 में निराधार गलत शुमार रैवन्यू रिकार्ड का दिया गया। हाल खाता सं० 46 में वादीगण के हक अधिकारों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं०

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (जयपुर)

6 लगायत 9 के पिता प्रपिता देवकरण रूपा पुत्र भैरू श्री किशन पुत्र महादेव, रामफूल पुत्र रामलाल, केसरा पुत्र हुक्मा गुर्जर के नाम मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड विधि विरूद्ध चला आ रहा कानूनन मुर्तहीन इन्द्राज बहुत पहले ही 1961 में ही हट जाना चाहिए था। रहन के बागुजारत भूमि मानकर बहुत पहले ही रहन मुर्तहीन इन्द्राज राजस्व कर्मचारिगण द्वारा हटाया जाना चाहिए था। प्रतिवादी सं० 6 लगायत 9 का आराजी के 1 इंच भाग पर भी कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ही काबिज है व लगातार शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ख0 नं0 126/716, 127, 127/717 , हेतु के.सी.सी. कार्ड बनवाकर ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम मुर्तहीन आराजी की जानकारी वादीगण को दिनांक 26/12/12 को अपनी इस पर रैवन्यू रिकार्ड की जानकर नकले लेकर जानकारी से वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है। वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 126/716, 127, 127/717 में जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग गोपाल का अंकन होना ही नहीं चाहिए था। क्योकि हाल खं0 नं0 126/716, 127, 127/717 बदोबस्त ख0 नं० 91 से बना है। दक्षिण एकीकरण ख0 नं0 44/2 को अन्य खसरा नम्बरान के साथ शुमार कर देने की वजह से खाता सं० 3 एकीकरण . के सहखातेदार जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग जरिये वली गोपाल को इस खाते में गलत पुनरावृति कर देने की वजह से अशुद्धि अंकित होना प्रतीत होता है। साथ ही जगदीश नाबालिग

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वलीं गोपाल दोनों ही वृद्ध होकर फोत हो चुके है तो फिर उसके वारिसान को पक्षकार प्रतिवादी बना था। दावा दुरूस्ती इन्द्राज लुप्त किये जाने नाम गोपाल वली किया जा रहा है। गोपाल व रूपनारायण के मध्य दर्ज व शब्द को भी लुप्तकर दिया गया है। जिसकी वजह से खाता सं0 46 के वादीगण के हक अधिकारों को हानि हो रही है। खाता सं0 47 में तो वली शब्द को हटा कर वादी रूपनारायण के साथ पिता रामलाल का सहखातेदार दर्ज कर दिया गया है। बिल्कुल ही निराधार अंकन दर्ज रैवन्यू रिकार्ड बिना कोई आज्ञा निर्णय, अन्तरण आदि के कर देने की वजह से खाता सं0 46, 47 में दर्ज गोपाल जो कर चुका है उसका नाम हजफ फरमाये जाने हेतु वाद पत्र पेश है। पेश होने पर दिनांक 26/12/12 को वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद पत्र पेश किया जाना लाजिम आया है। घोषणा के वाद पत्र में राजस्थान सरकार को जरिये भूस्वामी तहसीलदार पक्षकार प्रतिवादी कानूनन बनाया जाना आवश्यक होने की वजह पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वाद पत्र को सुनने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। वाद पत्र वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत खाता सं० 46 व 47 ख0 नं0 126/716, 127, 127/717 रकबा 0.24 है इस बिनाय का डिक्री घोषित फरमाया जावे कि आराजी में वादीगण का हक हिस्सा 1/2, 1/2 के काबिज खातेदार है प्रतिवादी नं० 1, 2 को हक अधिकार निहित नहीं है। साथ ही प्रतिवादी नं० 4, 5, 6 वारिसान गोपाल के विरूद्ध यह

उपखण्ड अधिकारी
नावलू (जयपुर)

डिकी पारित फरमायी जावे कि मृतक गोपाल जो जगदीश पुत्र देवीराम का फूफा संरक्षक वली एकमात्र होने का इन्द्राज लुप्त फरमाया जावे। साथ ही प्रतिवादी नं० 6 लगायत 9 स्वयं का पिता व प्रपिता देवकरण, रूपा पुत्र भैरू श्रीकिशन पुत्र महादेव, रामफूल पुत्र रामलाल, केसरा पुत्र हुक्मा का नाम खतौनी इन्द्राज से बतौर मुर्तहीन दर्ज बदस्तूर को हजफ फरमाया जावे। वाद पत्र बहक, वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं० 3, 4, 5, के पिता गोपाल का नाम बतौर वली दर्ज शुदा को हजफ फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजी खाता सं0 46, 47, ख0 नं0 126/716, 127, 127/717,110/713, 111/714, 112, 118, 124 से 126, 128, 487/428, 487/729, 489, 491, 567/730, 573, 110/700 तन मौजा लसाडिया तहसील चाकसू के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न करने बेदखल करने, रहन नामान्तकरण करने से जरिये निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को प्रतिबंधित फरमाया जावे। अन्य कोई दादासी बहक वादीगण को अलग से जारी फरमायी जावे। दावा वादीगण के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से वकील हाजीर आया व प्रतिवादी संख्या 3 से 9 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजीर नही आये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से दावे का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित तथ्यों मे कृषि भूमि खसरा नं0 126/716, 127, 127/717 कुल किता 3 रकबा 0.24 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

लसाडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर मे होना स्वीकार है शेष तथ्य जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही है। विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 के पूर्वजो के रहन रही हो वादीगण स्वयं सिद्ध करे। साबिक कृषि भूमि खसरा नं0 44/2 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि रही । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जगदीश बचपन मे ही अनाथ को गया इसलिए जगदीश का फूफा उसका वली बना। वाद पत्र का मद नं० 2 स्वीकार नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों की कुछ सम्पत्तिया रहन रही कुछ सम्पत्तिया रहन से मुक्त रही। एकीकरण विभाग के कर्मचारियो ने जब भूमि का एकीकरण किया तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पाक्त व हिस्से पर रहन का इन्द्राज कर दिया इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायोबित है। । वाद पत्र का मद नं० 3 इस संशोधन के साथ स्वीकार है। कि भूमि वादग्रस्त पर मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त है। भूमि वादग्रस्त पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 का कब्जा काश्त नही है। इन्द्राज दुरूस्त कर मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है। वादीगण ने मिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हेरान व परेशान करने की गरज से राजस्व रेकार्ड निकलवाकर दावा प्रस्तुत किया है। अस्पष्ट एवं अधूरे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। वाद पत्र का मद नं० 4 स्वीकार नही है वादीगण ने वादीगण एवं प्रतिवादी 1 व 2 भूमि वबादग्रस्त के रेकार्डेड काबिज

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास पहले जितनी भूमि थी आज भी उतनी ही भूमि है वाद पत्र का मद नं 4 अस्पष्ट होने से जवाब दावा प्रस्तुत करना मुमकिन नही है। वाद पत्र का मद नं0 5 स्वीकार नहीं है। वादीगण ने तहसीलदार चाकसू को पक्षकार बनाने जाने से पूर्व नोटिस जरिये दफा 80 जा0 दी0 नहीं दिया इसलिए नोटिस के अभाव मे वादीगण वाद खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र का भद नं0 8 स्वीकार नही है वादीगण का बाद मयाद मे नही है। वाद पत्र का मद नं0 9 स्वीकार नही हैं। वादी इस मद के उप मदात क, ख, ग, घ, मे अधियाचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अत जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना है। कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे । दावे का जवाब दावा पेश होने पर दावा व जवाब दावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र के चरण नम्बर 1 दर्ज खसरा नम्बर 126/716, 127, 127/717 रकबा 0.24 है0, साबिक खसरा नम्बर 91 रबा 19 बिस्वा तन मोजा लसाडिया वादी के पिता कालू पुत्र रोडू एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता रामलाल की अलग खातेदारी भूमि को अन्य खातेदारी मे गलत शुमार कर दिया गया साथ ही प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता प्रपिता को मुर्तहीन बेजा अंकित कर जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग के वली (फूफा) गोपाल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को वली अंकित कर दिया जो वादीगण के हक अधिकारों के विरोध है। आया वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 46, 47 खसरा नम्बर 126/716, 127, 127/717,110/713, 111/714, 112, 118, 124 से 126, 128, 487/428, 487/729, 489, 491, 567/730, 573, 110/700 तन मौजा लसाडिया तहसील चाकसू में किसी भी प्रकार की मजाहमत करने से जरिये प्रतिवादीगण स्वयं, नौकर ऐजेन्ट, परिजन वली आदि के जरिये करने की सूरत में वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित कराने के हकदार है। आया प्रतिवादी संख्या 2 भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 126/716, 716, 127, 127/717 की भूमि भी साबिक नम्बर 4412 की भांति काबिज खातेदारी सही दर्ज है। अन्य कोई दादरसी जो करीने इंसाफ हो। तनकीयात किये जाने पर वादीगण व प्रतिवादीगण की शहादत ली गयी तो वादी ने अपने समर्थन में साक्ष्य में रामफूल पीडब्लू 1, रूपनारायण पीडब्लू 2 को गवाह करवाये गये आगे शहादत वादी द्वारा नही करवाने पर शहादत वादी बन्द की जाकर पत्रावली शहादत प्रतिवादी में लगायी गयी तो वकील प्रतिवादी ने शहादत नही करवाकर दावा सहमति से निर्णय किये जाने हेतु कहा जाने पर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये दावा वादी मुताबिक रिलीफ के अनुसार डिक्री किया जाना जाहिर किया गया। वकील प्रतिवादी ने दावा वादी डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करते हुये दावा डिक्री किये जाने में आपत्ति नही की गयी। वादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वकील ने दावे के समर्थन में ग्राम लसाडिया की जमाबंदी संवत 2066–69 खतौनी बन्दोबस्त 2008 को बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील पक्षकारान की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेज, दावा जवाब दावा व गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया एवं प्रतिवादी वकील ने दावे का समर्थन करने व दावा डिक्री किये जाने में आपत्ति नही किये जाने से तनकीवार निर्णय नही कर सीधे ही निर्णय कियाजाना उचित समझते हुये पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि ग्राम लसाडिया में स्थित है बरवक्त बन्दोबस्त संवत 2008 खसरा नम्बर 91 रकबा 19 बिस्वा वादी नम्बर 1 के पिता कालू पुत्र रोडू व वादी नम्बर 2 के पिता रामलाल पुत्र घासी की खातेदारी में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड रही है। एकीकरण के समय तक जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिक जरिये वली गोपाल का इस खसरा नम्बर की आराजीयात से किसी प्रकार के हक हकुक किसी कदर नही रहे। रिकार्ड एकीकरण में इकजाही खातेदारी निराधार बन्दोबस्त खसरा नम्बर 91 एकीकरण खसरा नम्बर 44/2 शामिल कर लिया। एकीकरण जमाबंदी खतौनी खाता संख्या 3के खसरा नम्बर 39, 47, 43, 44/1, 46, 64 के साथ बेजा तरीके से 44/2 शामिल कर देने की वजह से गलत अंकन कायम कर दिया गया। खाता संख्या 3 के खातेदारान में जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग जरिये वली गोपाल वादीगण के साथ सहखातेदार रहा है वली गोपाल नाबालिग जगदीश का फूफा लगता है इसलिये वही इन्द्राज बदस्तुर दर्ज वेन्यू रिकार्ड चलता रहा किन्तु खसरा नम्बर 91 से

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वक्त बन्दोबस्त में जगदीश का कोई लेना देना नही था। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 39, 43, 44/1, 46, 64, 44/2 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा के खातेदारान कालू पुत्र रोडू, जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग वली गोपाल व रूपनारायण पुत्र रामलाल हिस्सा बराबर सा देह हाल जयपुर रहिन भैरू श्री किशन पुत्र महादेव, रामफूल पुत्र रामलाल, केसरा पुत्र हुक्मा को मुर्तहीन दर्ज शुदा खसरा नम्बर 44/2 हाल खसरा नम्बर 126/716, 127, 127/717 में निराधार गलत शुमार रेवेन्यू रिकार्ड कर दिया जो हाल खाता संख्या 46 में वादीगण के अधिकारों की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के पिता प्रपिता देवकरण रूपा पुत्र भैरू, श्रीकिशन पुत्र महादेव, रामफूल पुत्र रामलाल केसरा पुत्र हुक्मा गुर्जर के नाम मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड विधि विरूद्ध चला आ रहा है जो सन 1961 में ही हट जाना चाहिये था रहन के बागुजास्त भूमि मानकर पहिले ही रहन मुर्तहीन इन्द्राज हटाया जाना चहिये था प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का आराजी पर कब्जा काश्त कभी भी नही रहा वादीगण ही काबिज काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 126/716, 127, 127/717 में जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिक गोपाल का अंकन नही होना चाहिये था क्योंकि खसरा नम्बर 177/716, 127, 127/217 बन्दोबस्त खसरा नंबर 91 से बना है, एकीकरण खसरा नम्बर 44/2 को अन्य खसरा नम्बरान के साथ जोड देने की वजह से खाता 3 एकीकरण के सहखातेदार जगदीश पुत्र देवीराम नाबालिग जरिये वली गोपाल को गलत अंकित कर देने की वजह

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

से अशुद्धि हुयी है। साथ ही जगदीश नाबालिग वली गोपाल दोनो ही वृद्ध होकर फौत हो चुके है तो फिर उसके वारिसान को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। दावा दुरूस्ती इन्द्राज लुप्त किये जाने नाम गोपाल वली किया जा रहा जो गोपाल व रूपनारायण के मध्य दर्ज को भी लुप्त कर दिया गया जिसकी वजह से खाता संख्या 6 में वादीगण के हक अधिकारों को नुकसान हो रहा हैं। खाता संख्या 47 में वली शब्द को हटाकर वादी रूपनारायण के साथ पिता रामलाल सहखातेदार दर्ज कर दिया गया जो निराधार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खाता संख्या 46 व 47 खसरा नम्बर 127/716, 127, 127/717 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम लसाडिया का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हक व हिस्सा 1/2, 1/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी नं0 1, 2 के अधिकार हजफ किये जाते है। व प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 वारीसान गोपाल के विरूद्ध डिक्री निर्णित की जाती है कि मृतक गोपाल जो जगदीश पुत्र देवीराम का फूफा संरक्षक वली एक मात्र होने का इन्द्राज हजफ किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के स्वयं के पिता व प्रपिता देवकरण **झूथा** पुत्र भैरू श्री किशन पुत्र महादेव रामफूल पुत्र रामलाल, केसरा पुत्र हुक्मा का नाम खतौनी में इन्द्राज बतोर मुर्तहीन को हजफ किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पिता गोपाल का नाम बतौर वली दर्ज शुदा को हजफ किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.06 13:35:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: